GCMS-2026/62

फर्द अहकाम

(नियम 20)

अज अदालत : जिला कलक्टर मुकाम : बांसवाड़ा

थानाधिकारी, पुलिस थाना सज्जनगढ, जिला बांसवाडा	बनाम	श्री बहादुर सिंह पिता रतना हरिजन निवासी टांडी बडी थाना कसारवाडी

धारा, 5,6 राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवर्जन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995

मु. नं. : 8/2026

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
22-05-2026	थानाधिकारी, पुलिस थाना सज्जनगढ जिला बांसवाडा द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रकरण सं. 116/2026 धारा 5,6 राजस्थान गौवंश अधिनियम 1995 में जब्त 2 गौवंश (बैल) को मामले का अंतिम निपटारा होने तक गौशाला में सौपे जाने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 7 राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवर्जन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 प्रस्तुत किया। थानाधिकारी पुलिस थाना **सज्जनगढ जिला बांसवाडा** द्वारा रिपोर्ट में अवगत कराया गया है कि दिनांक 14.05.2026 को नाकाबन्दी कर वाहनो की चैकिंग के दौरान बांसवाडा की तरफ से एक पीकअप जिसका रजिस्ट्रेशन नं. **RJ03 GA 5479** आया उसको रुकवाया जाकर चैक करने पर अन्दर पीछे डाले में दो बैल भरे हुए थे। डाले के अन्दर कोई चारे पानी की व्यवस्था नही की हुई पाई। वाहन चालक से पुछताछ पर बैलो को कसारवाडी कुछ समय बाद अपने गांव टाण्डी बडी ले जाना व कभी झालोद ले जाना बताया। जिससे उक्त व्यक्ति पिकअप में भरे बैलो को अन्य प्रयोजन से गौवंश परिवहन करना एवं गाडी में पर्याप्त सुविधा उपलब्ध नही करा एक पीकअप में दो बैल भरकर ले जाना, क्रुरता पूर्वक ले जाने से अपराध अन्तर्गत धारा 5,6 राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवर्जन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 का अपराध बनना पाये जाने पीकअप रजि. नं. **RJ03 GA 5479** जब्त किया गया व पुलिस जाप्ते के सामने ही आरोपी बहादुर सिंह द्वारा संज्ञेय अपराध कारित करना पाया जाने पर आरोपी बहादुर सिंह को गिरफ्तारी के आधार धारा 47 बीएनएसएस की सूचना दी जाकर नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट 116/2026 धारा 5, 6 राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवर्जन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। गौवंश दो बैल का स्वास्थ्य परिक्षण कर रिपोर्ट प्राप्त की गई। गौवंश दो बैलो को गौशाला में जमा करा रसीद प्राप्त की गई। थानाधिकारी ने प्रकरण में जप्तशुदा गौवंश दो बैल को वात्सल्य गौसेवा संस्थान, सज्जनगढ को सुपुर्द करने निवेदन किया है। अतः राजस्थान, गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवर्जन या निर्यात का विनिमय) अधिनियम, 1995 की धारा 7 के तहत् जप्तशुदा 2 गौवंश (दो बैल) को सक्षम न्यायालय द्वारा अन्तिम निर्णय होने तक प्रबन्धक, वात्सल्य गौसेवा संस्थान, सज्जनगढ रजि. नं.**COOP/2021/BANSWARA/201883** को सुपुर्द करने के आदेश दिये जाते हैं। जब्तशुदा 2 गौवंश (दो बैल) की चराई, सुरक्षा एवं देखभाल की पूर्ण जिम्मेदारी प्रबन्धक, वात्सल्य गौसेवा संस्थान, सज्जनगढ की होगी। थानाधिकारी, पुलिस थाना सज्जनगढ जिला बांसवाडा को पाबंद किया जाता है कि सुपूर्दशुदा गौवंश की वीडियोग्राफी करावे। सम्बन्धित न्यायालय द्वारा उक्त पशुओं को तलब करने पर न्यायालय में पेश करने के लिए प्रबन्धक, वात्सल्य गौसेवा संस्थान, सज्जनगढ बाध्य होगा। तहरीर जारी होकर पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। (डॉ. इंद्रजीत यादव) कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बांसवाड़ा (राज.)	